

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 53/2023

प्रार्थी
1. हरीराम पुत्र भोमाराम जाति सीरवी
निवासी- सियाट तहसील- सोजत
जिला- पाली।
बनाम
1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत
जिला पाली राजस्थान
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थिति:-

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक : - 26/06/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम सियाट पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 123 खसरा संख्या 10 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 12 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 146 रकबा 12.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 15 रकबा 2.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 16 रकबा 11.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 17 रकबा 10.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 18 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 19 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 21 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 23 रकबा 2.8300 हैक्टर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 26 रकबा 11.6400 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/36 वां हक हिस्सा बनता है। राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का सही नाम दर्ज नहीं होकर हीराराम पुत्र भोमाराम दर्ज है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के अन्य भाई विरमराम, मदनलाल के पिता भोमाराम वल्द तुलछाराम के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी के पिता भोमाराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् राजस्व रेकर्ड में सैटलमेंट के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं कर त्रुटिवश हीराराम इन्द्राज कर दिया। प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी नाम हरिराम ही है, हीराराम नाम का प्रार्थी के पिता भोमाराम के अन्य कोई प्रार्थी के अलावा पुत्र नहीं है, प्रार्थी के अन्य सगे भाई मदनलाल एवं विरमराम है जो कि राजस्व रेकर्ड में सह खातेदार इन्द्राज है, लेकिन संबंधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा वक्त इन्द्राज प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी नाम हरिराम अंकित नहीं कर पैन ऑफ स्लिफ से हीराराम अंकित कर दिया। जो कि गलत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सियाट तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वर्तमान खाता संख्या 123 खसरा संख्या 10 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 12 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 146 रकबा 12.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 15 रकबा 2.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 16 रकबा 11.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 17 रकबा 10.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 18 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 19 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 21 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 23 रकबा 2.8300 हैक्टर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 26 रकबा 11.6400 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर


उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र भोमाराम दुरुस्त दर्ज किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सियाट में स्थित है। पैरा संख्या 02 के क्रम में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के सलंगन आधार कार्ड संख्या 346319501840, राशन कार्ड संख्या 009067100874 के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सरहद मौजा सियाट के वर्तमान खाता संख्या 123 खसरा संख्या 10 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 12 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 146 रकबा 12.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 15 रकबा 2.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 16 रकबा 11.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 17 रकबा 10.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 18 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 19 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 21 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 23 रकबा 2.8300 हैक्टर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 26 रकबा 11.6400 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र भोमाराम करने पर कोई आपत्ति नहीं होना, पैरा संख्या 03 व 04 में वर्णित तथ्यों को वादी स्वयं साबित करना तथा 05 व 06 को कानूनी बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि उसने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काशत की कृषि भूमि मौजा सियाट के वर्तमान खाता संख्या 123 खसरा संख्या 10 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 12 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 146 रकबा 12.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 15 रकबा 2.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 16 रकबा 11.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 17 रकबा 10.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 18 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 19 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 21 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 23 रकबा 2.8300 हैक्टर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 26 रकबा 11.6400 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र भोमाराम शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात खाता संख्या 123 की जमाबंदी की प्रतिलिपि, प्रार्थी के परिवार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम हरिराम पुत्र भोमाराम अंकित है। भूमि धारक तहसीलदार सोजत ने भी प्रार्थी का सही नाम हरिराम पुत्र भोमाराम होना व्यक्त किया है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा सियाट के वर्तमान खाता संख्या 123 खसरा संख्या 10 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 12 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 146 रकबा 12.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 15 रकबा 2.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 16 रकबा 11.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 17 रकबा 10.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 18 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 19 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 21 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 23 रकबा 2.8300 हैक्टर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 26 रकबा 11.6400 हैक्टर कुल खसरा



उपखण्ड अधिकारी

रकबा 57.0300 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र भोमाराम के नाम रेकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सियाट के वर्तमान खाता संख्या 123 खसरा संख्या 10 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 12 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 146 रकबा 12.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 15 रकबा 2.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 16 रकबा 11.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 17 रकबा 10.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 18 रकबा 3.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 19 रकबा 2.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 20 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 21 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा संख्या 22 रकबा 0.2000 हैक्टर, खसरा संख्या 23 रकबा 2.8300 हैक्टर, खसरा संख्या 24 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा संख्या 25 रकबा 0.0600 हैक्टर, खसरा संख्या 26 रकबा 11.6400 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 57.0300 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र भोमाराम के नाम रेकॉर्ड दुरुस्त किया जाता है। लिहाजा राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हीराराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर हरिराम पुत्र भोमाराम के नाम रेकॉर्ड दुरुस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ़्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



यह निर्णय आज दिनांक 26/06/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

(गोपाल जांगिड़)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली